न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7000–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक **18–5–2015 पारित द्वारा कलेक्टर** आफ स्टाम्प, जिला भोपाल **प्रकरण कमांक 08/बी–103/2013–14/धारा–33.**

सुभाष बडकुल पुत्र स्व. श्री कोमल चंद बडकुल
निवासी 18–ए, न्यू मार्केट भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प
एवं जिला पंजीयक, भोपाल .....अनावेदक

श्री आई.बी. शास्त्री, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २६/११/१४ **को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप अधिनियम **कहा जायेगा**) की धारा 56 (4) के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन सम्पत्ति का वर्ष 1976 में सेटलमेंट हुआ था, जिसे इकरारनामा के जरिये दिनांक 27–4–76 को रिकार्ड **किया गया** था । चूंकि पारिवारिक विवाद होने से विवाद कोर्ट में पेश किया गया है, जहां **यह आपत्ति** उठाई गई है कि इकरारनामा पर पर्याप्त मुद्रांक शुल्क अदा नहीं किया **गया है, अतः कृपया** यह बतायें कि उक्त इकरारनामा पर स्टाम्प लगना है अथवा नहीं **यदि स्टाम्प लगना है तो**

उसका निर्धारण करें ताकि पर्याप्त स्टाम्प लगाया जा सकें । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/बी–103/2013–14/धारा 33 दर्ज कर दिनांक 18–5–2015 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन सम्पत्ति का बाजार मूल्य रूपये 1,84,139/– अवधारित करते हुए रूपये 7,366/– मुद्रांक शुल्क निर्धारित किया गया । चूंकि 39 वर्षों तक आवेदक द्वारा मुद्रांक शुल्क का अपवंचन किया गया है, इसलिए मुद्रांक शुल्क का 8 गुना शास्ति 58,928/– अवधारित की गई । इस प्रकार कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा रूपये 66,294/– जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन दस्तावेज इकरारनामा नहीं होकर बटवारानामा है, जो कि स्व. कोमल चंद बडकुल के वारिसों के मध्य निष्पादित हुआ है । यह भी कहा गया कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि बटवारानामा पर किसी प्रकार को कोई मुद्रांक शुल्क देय नहीं है ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा कोरे कागज पर इकरारनामा दिनांक 27–4–1976 को निष्पादित कराया गया है, जिसके द्वारा पारिवारिक व्यवस्थापन किया गया है । बाद में पारिवारिक विवाद कोर्ट में पेश होने पर दिनांक 25–10–2013 को कलेक्टर आफ स्टाम्प के समक्ष पर्याप्त स्टाम्प लगे हैं अथवा नहीं, और यदि नहीं लगे हैं तो उचित मुद्रांक शुल्क निर्धारण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर अधिनियम के प्रावधानों की विस्तृत विवेचना करते हुए प्रश्नाधीन सम्पत्ति का बाजार मूल्य रूपये 1,84,129/– निर्धारित करते हुए मुद्रांक शुल्क रूपये 7,366/– निर्धारित किया गया है, जो वैधानिक एवं उचित कार्यवाही है । चूंकि आवेदक द्वारा लगभग 39 वर्षों तक मुद्रांक शुल्क का अपवंचन किया गया है, इसलिए निर्धारित मुद्रांक शुल्क का 8 गुना शास्ति रूपये 58,928/– अधिरोपित करने में भी विधिसंगत कार्यवाही की गई है । दर्शित परिस्थितियों में

कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–5–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर